Vol. IV—No 39

THE BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES.

Wednesday, the 28th April, 1948.

Proceedings of the Bihar Legislative Assembly assembled under the provisions of the Government of India Act, 1935.

The Assembly met in the Assembly Chamber at Patna on Wednesday the 28th April, 1948, at 5-30 P.M. the Hon'ble the Speaker, Mr. Vindhyeshwari Prasada Varma, in the chair.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER.

POLICY OF GOVERNMENT REGARDING THEIR TREATMENT TOWARDS THE EASTERN PAKISTAN REFUGEES.

*60. **Dr. KISHORI LAL KUNDU :** Will the Hon'ble Minister in charge of Relief and Rehabilitation be pleased to state—

(*a*) the policy of Government regarding their treatment towards the Eastern Pakistan refugees ;

(*b*) whether it is a fact that a large number of the said refugees are daily pouring into this province ;

(*c*) if the answer to clause (*b*) be in the affirmative, what number has already been registered districtwise ?

Mr. NIRAPADA MUKHARJI : (*a*) The policy of Government is to accord the same treatment to the refugees from Eastern Pakistan as is accorded to the refugees from Western Pakistan. Instructions have already been issued to all District Officers enjoining that the refugees from Eastern Pakistan would also be eligible for all the concessions at present available to the Western Pakistan refugees. They will be registered up 31st May, 1948. Also their claims are being registered in claim forms.

(*b*) Government have information that some refugees are arriving from Eastern Pakistan, mainly in the Purnea district. Details have been called for and are being collected.

*In the absence of the questioner, the answer was given at the request of Mr. Harinath Mishra.

OBSERVATION BY THE HON'BLE THE SPEAKER .. ...REGARDING PRESENTATION OF THE REPORT ..OF THE COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS,....

The Hon'ble the SPEAKER: Item 2 relates to Financial Business. With regard to it, I have to say that rule 162 lays down that the report of the Committee on Public Accounts on the Appropriation and the Finance accounts of the Province and the Reports of the Auditor-General thereon shall be presented to the Assembly by the Chairman of the Committee on Public Accounts. I find that the Chairman is not present today. So, the report cannot be presented today.

The Hon'ble Mr. KRISHNA BALLABH SAHAY: Can no other Minister present it?

The Hon'ble the SPEAKER: It has to be presented by the Chairman of the Committee. So, I pass on to Legislative Business.

.. LEGISLATIVE BUSINESS: OFFICIAL BILL : ..

.. The Bihar Maintenance Of Public Order (Amendment) .. Bill, 1948, (Bill No. 17 Of 1948).

The Hon'ble the SPEAKER: The House will now proceed with the consideration of the Bihar Maintenance of Public Order (Amendment) Bill, 1948 clause by clause.

The question is:

That clause 2 do stand part of the Bill.

Mr. Muhammad Abdul Ghani may move his amendment.

Mr. MUHAMMAD ABDUL GHANI: Sir, I do not want to move the first amendment. I shall move the second one.

The Hon'ble the SPEAKER: The hon'ble member may do so.

Mr. MUHAMMAD ABDUL GHANI: Sir, I beg to move.

That in sub-clause (b) of clause 2 of the Bill for the proposed new proviso to Section 3 of the Act, the following proviso be substituted, namely—

"Provided that nothing in this section shall prevent the Provincial Government from making a fresh order under Section 2 in respect of the same person for any new action of the said person, if the Provincal Government is satisfied that it is necessary so to do with a view to preventing him from acting in a manner prejudicial to the public safety and the maintenance of public orders".

आप देखेंगे सब क्लोज (ए) क्लोज २ में एक अमेण्डमेण्ट गवर्नमेंट के तरीके पेश किया गया है। इट इज सर्व्ड आन दी परसन इन रेस्पेक्ट आफ हूम इट इज मेड। पहले यह मुमकिन था कि नोटिश होने के बाद जब सर्व नहीं हुआ तो आदमी जीत जाता है।

दी आनरेबल दी स्पीकर

जो अमेन्डमेण्ट अभी आपने पेश किया है उसमें और अभी तक इस बिल प्रोविसो है उसमें यही फर्क है कि आप for any new action of the said person बढ़ा देना चाहते हैं तो आप उसी के बारे में कहिये।

मिस्टर मुहम्मद अब्दुल गनी

वह तो दूसरी चीज है। पहला जो अमेण्डमेण्ट है क्लाज ए है इससे काम निकल जाता है। पहले यह था कि नोटिस सर्व नहीं होने की वजह से आदमी जीत जाता था।

दी आनरेबल दी स्पीकर

आप ऐक्ट को रेफर कर रहे हैं।

मिस्टर मुहम्मद अब्दुल गनी

आपसे मै यह कह देना चाहता हूं कि गवर्नमेण्ट ने दो प्रीवेजन किये हैं। पहले ए में किया है कि जिस तारीख से नोटिस जारी हो उसमें लिखा हुआ है कि अब गवर्नमेण्ट चाहती है कि to seeve on the person तो बहुत मुमकिन है कि नोटिस इसु हुआ और गिल्टी परसन कहीं रू पोश हो जाये।

दी आनरेबल दी स्पीकर

यह कैसे जानते हैं कि इसी जुर्म के लिये है? यह फ्रेस आर्डर है न? आपने जो अमेंडमेंट दिया है उसको मानने की जरुरत नहीं है। यदि कोई छूट जाता है तो उसको फिर हम पकड़ ही सकते हैं। इसलिये आपका अमेंडमेंट हम मान नहीं सकते हैं।

मिस्टर मुहम्मद अब्दुल गनी

तो हमको इसके बारे में यह कहना है कि इस प्रोमिजन से गवर्नमेण्ट का काम निकल जायेगा । अब जरूरतदूसरे प्रोमिजन की नहीं है । अगर आप फ्रैस एक्सन लेना चाहते हैं कि नोटिश ईसू करने के बाद गिल्टी परसन छिप जाता है तो अब नहीं छिपेगा । जिस तारीख से नोटिस सर्भ हो जायेगा उसी तारीख से उसका इतलाक हो जायगा । अब जरूरत नहीं है कि कोई नया कानून बनाया जाये । दूसरी चीज यह है कि उनको याद हो जायगा कि गवर्नमेन्ट का रेगुलेशन इस सिलसिले में पास होचुका है कि एक अकेले और एक्ट की जिन्दगी बढ़ा दी जाय तो अब कानून के नोट में गवर्नमेण्ट को चाहिये तो एक साल के लिये बढ़ा सकती है । मगर ऐसे जुर्म के लिये बार बार नोटिश हो और फिर कौन्सिल हो यह मुनासिब नहीं है अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

आनरेबल दी स्पीकर

गवर्नमेण्ट के बिल में भी फ्रेश आर्डर का जिक्र है ।

मिस्टर मुहम्मद अब्दुल गनी

यह ठीक है कि गवर्नमेण्ट बार बार नोटिस करती है । तो यह ठीक नहीं है ।

दी आनरेबल दी स्पीकर

क्यों नहीं है ? जिसको आप सबस्टीच्यूट कर रहे हैं उसी में है न ?

मिस्टर मुहम्मद अब्दुल गनी

अमेण्डमेण्ट नं० १ में मौजुद है कि जब नोटिस सर्भ हो गई तो आप एक्सन ले सकते हैं । बार बार नोटिस सर्भ करने की जरूरत नहीं है अगर हमारे अमेण्ड मेण्ट मन्जुर कर लिया जायगा तो इस में जो दिक्कत है वह दूर हो जायगी । कोई फ्रेश आर्डर या दूसरी कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है ।

दी आनरेबल दी स्पीकर

आप Due actionकी बात कह रहे हैं पहले एक आर्डर हो चुका है । यह फ्रश आर्डर है तो इस में दिया हुआ है कि ——

"If the Provincial Government is satisfied that it is necessary so to do with a view to preventing him from acting in a manner prejudicial to the public safety and the maintenance of public order".

The Hon'ble Mr. KRISHNA BALLABH SAHAY: जनाब सदर, इस तरमीम को हम मंजूर नहीं कर सकते। मेरे दोस्त गनी साहब ने कहा है कि एक दिक्कत जो गवर्नमेण्ट के रास्ते में थी वह हट गयी वह दिक्कत यह थी कि जिस दिन गवर्नमेण्ट आर्डर जारी करती थी उसी दिन से छ महीने की अवधि गिनी जाती थी। मगर वह तो अलग बात थी।

पहली दिक्कत यह थी कि नोटिस Serve नहीं होती थी और ऐसा करने में ६ महीने का वक्त गुजर जाता था और उसके बाद उस आदमी को गिरफ्तार करने काअख्तियार सरकार को नहीं रह जाता था। लेकिन अब वह दिक्कत नहीं रहेगी इसीके लिये (a) में person in respect of whom it is made" shall be substituted for the words "it is made", the words "it is served, on the रखा गया है। को मानो यह है कि अगर कोई आदमी जेल में नजरबन्द कर दिया गया है और अगर सरकार यह जरूरी समझती है कि उसको ६ महीने से ज्यादा नजरबन्द रखा जाय तो सरकार को यह अख्तियार रहेगा कि उस आदमी को वगैर कोई दूसरा कसूर किये ही, छः महीने से ज्यादा नजरबन्द रख सकती है। इसमें शक नहीं कि यह एक खास अख्तियार सरकार के हाथ में होगा।

Dr. SACHCHIDANAND SINHA: अगर यह अख्तियार सरकार के हाथ में रहेगा तो क्या हज है?

The Hon'ble Mr. KRISHNA BALLABH SAHAY: हमारे दोस्त अमीन साहब इसको समझें तब तो मैं कह रहा था कि किसी आदमी को नजरबन्द से छोड़ना कई बातों पर मुनहसर करता है। उसकी Past History जेल में उस आदमी का चाल चलन कैसा है, बाहर की परिस्थिति, इन सब बातों पर विचार कर तब सरकार उसको छोड़ने का फैसला करती है अगर सरकार उसकी Past Historyको देखने के बाद.....

Mr. CHANDRESHWAR PRASAD NARAIN SINHA: Past History. को कुछ और साथ कीजिये कि इसका क्या मतलब है।

Mr. KRISHNA BALLABH SAHAYA: Past History का क्या अर्थ है, यह सब को मालूम है। बहुत से आदमी जेल में जाने के बाद यह महसूस करते हैं कि उन्होंने गलत काम किया है और अगर मुल्क की फजा बदल जाती है और सरकार यह समझती है कि और ज्यादा दिन नजरबन्द रखने की जरूरत नहीं है तो उसे छोड़ देती है लेकिन अगर ६ महीनें के बाद भी उसे नजरबन्द रखना सरकार जरूरी समझे तो इसीलिये सरकार 2 (b) को रख ना जरूरी समझती है। इस Proviso के मतलब में और गनी साहब को तरमीम के मतलब में फर्क है और इसलिय हम उनकी तरमीम को मानने के लिये तैयार नहीं है।

मिस्टर सैयद अमीन अहमद

जनाब इन्सपेक्टर साहब— इस वक्त मुझको कोई बड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। हमारे दोस्त बेकार खौफ खा रहे हैं। सवाल सिर्फ यह है कि जिसको गनी साहब ने साफ जाहिर कर दिया है कि अगर एक शख्स छः महीने तक जेलखाना में बन्द रक्खा तो कबल इसके कि वह कैद से निकले और फिर कुछ भी दूसरा इनक्रीमिनिटिव काम करे तो इसको फिर छः महीना और बन्द करने का अख्तियार हमारे मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि दे दिया जाये। इसलिये इसके मुताल्लिक मौलवी गनी साहब ने तरयीम पेश की है। जिसका मतलब साफ यह है कि अगर छः महीना जेल में रहनेके बाद और रिहा होने के बाद कोई ऐसा काम करे जिससे कुछ अन्देशा पैदा हो तो फिर ऐसे शख्स को बन्द कर देना चाहिये। लेकिन हमारे दोस्त चाहते हैं कि जेल से निकलने के बाद ही कोइ ऐसा काम न करे। जब भी फिर उसको छः महीना यानी पूरे साल भर उसको कैद में रखना चाहिये। इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करना चाहता हूं। आपने स्टेट मेन आफ आब्जेक्स एण्ड जिन्स में यह बात साफ लिखी है कि

statement of objects and reasons although Section 3 of the Act does not state explicitly, construing the Act strictly in favour of the subject, Government have refrained from passing a second order under Section 2 of the Act unless some fresh incriminating material against the person has been forthcoming.

यह चीज अगर हमारे दोस्त मान लें तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं है मगरमामला इसके बरअक्स है हमारे दोस्त भी स्टेटमेण्ट आफ आआबजेक रिसेन्स में जो लिखा में उसके खिलाफ करना चाहते हैं। इस में तो उन्होंने लिखा है कि अगर एक शख्स जिसके खिलाफ हुक्म सादिर हो छः महीना तक गायब हो जाये और इसके खिलाफ दूसरा हुक्म जारी नहीं करेंगे। अगर इसी चीज को आप प्रावेज में रख दीजिये कि जब तक कोई फे्श इनक्रीमेंटिंग मटिरियल इसके खिलाफ न हो वह फिर कैद नहीं हो सकता तो हम खुशी से इस तजवीज को मानने को तय्यार हैं मगर मुश्किल तो यह है कि स्टेट मेण्ट आफ आबजेक्टस आर रीजन्स में कुछ और लिखा है और आप नियत कुछ और है। आपका मतलब यह है कि आपको यह अख्तियार दे दिया जाये कि जिस पर आपको कुछ शूबहा हो उसको आप एक वर्ष तक कैद खाना में बन्द रख सकते हैं। इसके मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त ने कोई ऐसी बात पेश नहीं की है कि जिससे यह मालूप हो कि छः महीना तक हुक्म जारी रहने बाद

(IN URDU)

The Hon,ble the SPEAKER : आखिर में लिखा हुआ है कि

" and after serving out the order for six months, persons concerned are resuming their activities to the pre-

judice of public peace and tranquillity. The proposed amendment will remedy the present situation."

मिस्टर सैयद अमीन अहमद

इसको मैं जानने को तय्यार हूं कि स्टेट मेण्ट में तो यह लिखा हुआ है लेकिन प्रावेज में यह अल्फाज नहीं है और जो बयान इन्होंने दिया हैं उससे साफ मालूम होता हैं कि उनकी नियत दूसरी हैं इसमें यह हैं कि Provided that nothing in this section shall prevent the provincial Government from making a fresh order under Section 2 in respect of the same person, if the provincial Govt. is satisfied that it is necessary so to do with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the public sefety and the maintenance of public order.

हम चाहते हैं कि इसमेंइतना बढ़ा दिया जाये तो कोई मुजायका नहीं है कि If he resumes his activities and if there is any incriminating material against him.

मौलवी गनीसाहब ने जो दो अल्फाज रक्खे हैं अगर आप इन्हें पसन्द नहीं करते हैं तो उनको गायब कर दीजिये और उसके बदले में statement of objects and reasons में जो लिखा है उस चीज को अगर आप लिख दें तो हम मानने को तय्यार है। उन्होंने कहा है कि Past History

देखी जायगी और अगर समझा गया कि इसको छ महीना और कैद में रखना चाहिये तो फिर उसको बन्द कर दिया जायेगा। हम इसके मुतल्लिक सिर्फ इतन ही चाहते हैं कि statement में जो लिखा हुआ है उसको प्रावजू में शामिल कर लें यादी unless some fresh incriminating material against the person is forth coming.

तो हमें इसको मानने में कोई एतराज नहीं है।

The Hon'ble the **SPEAKER** : Spoke in Hindi.

यहां तो यह लिखा हुआ है कि

"..resuming their activities to the prejudice of public peace and tranquillity"

और उसमें यह लिखा हुआ है

"..prejudicial to the public safety and the maintenance of public order."

ये दोनों एक ही चीज हैं तो आप यह Amendment क्यों पेश कर रहे हैं ?

Mr. Said Amin Ahmad: statement of objects & reasons में बिलकुल सही लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि अगर छः महीना के बाद फिर गैर मामूली काम को जारी रक्खे और छः महीना के बाद फिर fresh incriminating इसके खिलाफ हो।

The Hon'ble the SPEAKER : नहीं नहीं अगर आप देखें "..with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the public safety and the maintenance of public order."

Mr. Saiyed Amin Ahmad : सही है – हमारे दोस्त ने कहा है कि past history को देखेंगे और अगर जरूरत समझेंगे तो fresh order देंगे।

जिस तरह प्रावजु रक्खा है ऐसी कोई चीज नहीं मालूम होती जो आपको फिर दोबारा आर्डर देने से रोक दे इसलिये जरूरत है कि इसको साफ कर दें कि if he resumes his activity or if there is any fresh incriminating material against him मेरे ख्याल में अगर हमारे दोस्त अपने statement of objects and reasons को सही मानते हैं तो अभी इतना बढ़ा देना चाहिये। आपके प्रावेजु का साफ मतलब यह है कि बजाय छः महीना के आप एक साल कैद रखना चाहते हैं। यह बिलकुल बे इन्साफी की बात है कि बगैर trial के गवाही गवाही शहादत के आप लोगों को एक वर्ष कैद में रख दे। इसलिये मेरी गुजारिश सिर्फ यही है कि बिल के statement of object & reasons जो लिखा हुआ है उसको आप प्रावजु में शामिल कर लें।

The Hon'ble Dr. Sri Krishna Sinha : आपने जो अमेण्डमेण्ट दिया है है उसको मानने की जरूरत नहीं है। यदि कोई छूट जाता है तो उसको फिर पकड़ ही सकते हैं। इसलिये आपका अमेण्डमेण्ट हम मान नहीं सकते हैं।

Mr Mohammad Abdul Ghani जनाब संदर — जो एक्ट इस वक्त exist कर रहा है उसका प्रावेजु साफ है कि अगर आपने cancel ही कर दिया है तो आप फिर fresh order कर सकते हैं।

"Provided that nothing in this section shall prevent the Provincial Government from making a fresh order under Section 2 in respect of the same person for any new action of the said person, if the Provincial Government is satisfied that it is necessary so to do with a view to preventing him from acting in manner prejudicial to the public safety and the maintenance of public order."

मगर आपने Cancel ही कर दिया है तो फिर fresh order कर सकते हैं मगर इस मौजूदा कानून के जरिख आप ला रहे हैं कि एक शख्स जिसकी सजा आप एक दफा कर चुके हैं उसके मुताल्लिक आप की फिर ख्वाहिश होती है कि फिर further सजा होनी चाहिये यानी एक ही offeuce के लिये जिस पर इसकी सजा existing कानून के रू से हो चुकी है। आप फिर सजा करना चाहते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि बजाय इस कदर घूम घाम कर आने के आप सीधे सीधे आने की ऐसे मुजरिमों की सजा में एक वर्ष का extension दे दिया जाय वह साफ बात होती है ।

एक peoples Govt. के लिये यह बात शाबाने शान नहीं है। इस किस्मके कानून पर हम लोगों ने गैर मुल्की हुकूमत के खिलाफ बड़ा शोर मचाया था लेकिन जब खुद अपना वक्त आया तो शही बात करने लगे यानी शुरुहा पर आपने एक शख्श कीसजा कर दी और इसके बाद फिर उसी offence पर दोबारा सजा करना चाहते हैं। यह action तो उस गवर्नमेण्ट का जो peoqle की गवर्नमेण्ट है बिलकुल justified नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे Amendment और गवनमेण्ट के amendment में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि for any fresh activity के अल्फाज जोड़ कर गवर्नमेण्ट अपने अमेण्डमेण्ट के मतलब को साफ कर दे।

The Hon'ble the SPEAKER :

यहां गवनमेण्ट के action का सवाल नहीं है बल्कि अमेण्डमेण्ट का सवाल है।

Mr. MUHAMMAD ABDUL GHANI :

एक बार आपने without trial छः हफ्ता के लिये एक शख्श को detain किया तो आपका मकसद पूरा होना चाहिये अब फिर आप कहते हैं कि fresh तौर से इसी offence के लिये इसको detain किया जाये।

The Hon'ble the SPEAKER :

Action तो है ?

Mr. MUHAMMAD ABDUL GHANI :

सेक्शन नं० २ Action के लिये नहीं है।

Mr. MUHAMMAD ABDUL GHANI :

हम भी तो यही कहते हैं।

The Hon'ble the SPEAKER :

इसमें तो बहुत बड़ा फक ह ।

Mr. MUHAMMAD ABDUL GHANI :

यही अमेण्डमेण्ट कर दिया जाये लेकिन गवर्नमेन्ट को यह मन्जूर नहीं है ।

.... **The Hon'ble the SPEAKER :**

वही तो Govt. का मतलब है । यह भी आपके सामने जाहिर हो जायगा ।

Mr. MUHAMMAD ABDUL GHANI :

जी नहीं ! जैसा कि हम देख रहे हैं हुकूमत की मन्शा यह नहीं है हुकूमत तो चाहती है कि एक शख्श जो शुबहा पर गिरफ्तार किया गया था अभी जेल से निकला भी नहीं कि आपने फौरन उसको पकड़ लिया हम लोग इसी चीज के लिये अङ्गरेजों को हंसा करते थे लेकिन वही चीज आप करने जा रहे हैं । यह कौन सी justice है ? मालूम होता है कि अंग्रेजों से भी दो चार हाथ आगे हम लोग चल रहे हैं ।

The Hon'ble Mr. KRISHNA BALLABH SAHAY :

जनाब सदर हम आश्चर्य है कि हमारे दोस्त गनी साहब और अमीन साहब यह जिद्द कर रहे हैं कि उनकी तरमीम हमलोग मान लें इस पर एक देहाती कहावत है कि "काड़ा" को यदि गुड़ पिलाया जाय तो वह चिल्लाने लगता है । वाकई यह कानुन जो पास हुआ है वह अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये है ।

Mr. Saiyad Jafar Imam कड़ाके क्या माने हैं क्या इसके माने मिस्टर है

Mr. MUHAMMAD ABDUL GHANI : काड़ा के माने मिस्टर तो नहीं ?

.... **The Hon'ble Mr. KRISHNA BALLABH SAHAY :**

हमलोग समझते हैं कि मेम्बर लोग भी कुछ समझते हैं ।

..... **The Hon'ble Mr. KRISHNA BALLABH SAHAY :**

मेरा ख्याल यह है कि यह कानून जो बहुसंख्यक जाति (Majority community) के हैं अल्पसंख्यक की उनसे रक्षा के लिये बनने ज रहा है । शांति भंग होने का उनसे ज्यादा डर है । अभी हमारे पास संख्या मौजूदा नहीं है नहीं तो मैं वह संख्या पेश करता । इससे ज्यादातर ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो अल्पसंख्यक जाति (Minority community) के नहीं हैं । फिर भी हमारे दोस्त गनी साहब और अमीन चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारा यह खास अख्त्यार छिना जा रहा है ।

Mr. Saiyid Jafar Imam: यहां Minority community का कहांका सवाल से आ गया हरगिज हमलोग कमोनल सवाल नहीं ला रहे हैं। हम तमाम लोगों की तरफ से कह रहे हैं हम माई नोटी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं बल्कि तमाम इन्सानियत की तरफ से बोल रहे ह—तमाम मुल्क की तरफ से बोल रहे हैं।

The Hon'ble Mr. KRISHNA BALLABH SAHAY: हरगिज यह जाति (Community) का सवाल नहीं है। हमलोग इस कानून को इसलिये पास कर रहे हैं कि इसका पास होना बहुत जरूरी है। अब रही बात हमारे दोस्त अमीन साहब की। इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि हुजूर हजारों कोशिश की गयी कि वे समझें कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मकशद है। मगर वह समझ नहीं सके और हमेशा कहते आ रहे हैं कि हमारी नियत खाम है। हमारी नियत खाम है या नहीं मालूम पड़ता है उनकी अकल ही खाम हो गयी है।

Statement of objects & reasons में साफ कर दिया गया है कि हम क्यों इस अख्तियार को लेना चाहते हैं। अमीन साहब ने तो दो जुमलों को पढ कर बाकी जुमलों को छोड़ दिया। यह बिलकुल गैरवाजिब बात है और ईमानदारी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनको पढ देता हुं जिन जुमलों को उन्होंने छोड़ दिया है।

But in the present disturbed conditions of the country, Government find that the period of six months which is the maximum life of an order under Section 2 of the Act is proving too short, and after serving out the order for six months, persons concerned are resuming their activities to the prejudice of public peace and tranquility. The proposed amendment will remedy the present situation.

इसका असल मकसद यही है कि साम्प्रदायिक झगड़े रोके जायं और साम्प्रदायिकता न बढने पाये। ऐसा हुआ है और हो भी सकता है कि साम्प्रदायिकता को हाथ में लेकर लोग खूरेजी तक कर बैठे हैं। अभी तो ६ महीना जेल में रखते हैं उसके बाद छोड़ देना पड़ता है और जब तक फसाद नहीं करे, मुल्क में आग न लगा दे और हजारों आदमियों को मार न दिया जाय तब तक नहीं पकड़ सकते हैं। इसको हम-लोग नहीं चाहते हैं कि इतना करने के बाद गनी साहब कहें कि अब पकड़ लिया जाय। मैं चाहता हूं कि अगर ६ महीने की जेल में रहन-सहन से ऐसा मालूम हो कि उससे खतरा है और उसको मुल्क की भलाई के लिये जेलों में रहना चाहिये तो उसको जेल में रखना चाहिये। मैंने तो मान लिया है कि हम एक खास अख्तियार लेना चाहते हैं, इसके लिये हमें फख्र नहीं है मगर मुल्क में ऐसी हालत है और इसलिये मैं यह अख्तियार ले रहा हूं। मिस्टर जाफर साहब ने कहा है कि मैं कम्यूनिटी की बात नहीं करता हूं उनके मुंह में शक्कर। मैं तो पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि अगर मुल्क में ऐसी हालत हो जाय कि इस ऐक्ट की जरूरत न हो तो मैं आपके साथ इस ऐक्ट को जला दूंगा लेकिन अभी मैं इसकी जरूरत समझता हूं और इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

The Hon'ble the SPEAKER: Order, order.

Mr. MUHAMMAD ABDUL GHANI: I want to press my amendment.

The Hon'ble the SPEAKER: The question is:

That in sub-clause (b) of clause 2 of the Bill for the proposed new proviso to Section 3 of the Act, the following proviso be substituted, namely—

"Provided that nothing in the section shall prevent the Provincial Government from making a fresh order under Section 2 in respect of the same person for any new action of the said person, if the Provincial Government is satisfied that it is necessary so to do with a view to preventing him from acting in manner prejudicial to the public safety and the maintenance of public order.

The House then decided as follows:—

1 Mr. Saiyid Jafar Imam.
2 Mr. Muhammad Nauman.
3 Mr. Muhammad Abdul Ghani.
4 Mr. Sharfuddin Husain.
5 Mr. Khaja Gulam Ahmad.
6. Mr. Latifur Rahman.
7 Mr. Nur Hasan Mian.
8 Mr. Saiyid Badruddin Ahmad.
9 Mr. Saiyid Mazhar Alam.
10 Mr. Badiuzzaman.
11 Mr. Muhammad Farid.
12 Mr. Muhammad Mobarak, Karim.
13 Mr. Ziaur Rahman.
14 Mr. Muhammad Shafiqul Haque.
15 Mr. Muhammad Islamuddin.
16 Mr. Muhammad Raziuddin.
17 Mr. Muhammad Tahir.
18 Mr. Saiyid Amin Ahmad.

1 Mr. Murli Manohar Prasad.
2 Mr. Jagadish Narain Sinha.
3 Mr. Mahabir Ram.
4 Mr. Sakti Kumar.
5 Mr. Jamuna Prashad Singh.
6 Mr. Hargobind Misra.
7 Mr. Guptanath Singh.
8 Sardar Harihar Singh.
9 Mr. Jagannath Singh.
10 Mr. Ram Binod Sinha.
11 Mr. Jhulan Sinha.
12 Mr. Probhunath Sinha.
13 Mr. Ram Basawan Ram.
14 Mr. Ganesh Prasad Sah.
15 Pandit Prajapati Misra.
16 Mr. Jaynarayan Prasad.
17 The Hon'ble Mr. Badri Nath Verma.
18 Mr. Yamuna Ram.
19 Mr. Shiva Nandan Ram.
20 Mr. Rameshwar Prasad Sinha.
21 Mr. Bir Chandra Patel.
22 Mr. Ramasis Thakur.

23 Mr. Harinath Mishra.
24 Mr. Jai Narain Veneet.
25 Mr. Radhakant Choudhary.
26 *The Hon'ble Dr. Sri Krishna Sinha.
27 Dr. Raghunandan Prasad.
28 Mr. Kamleshwari Prasad Jadab.
29 The Hon'ble Mr. Ramcharitra Sinha.
30 Mr. Sarjoo Prasad Sinha.
31 Mr. Kalika Prasad Singh.
32 Mr. Rash Bihari Lal.
33 Thakur Narsingh Prasad Singh.
34 Mr. Rajendra Misra.
35 Mr. Basudeva Prasad Sinha.
36 Dr. Kishori Lal Kundu.
37 Mr. Lakshmi Narayan Sudhansu.
38 Pandit Budhinath Jha.
39 Mr. Bariar Hembrom.
40 Mr. Brijlal Dokania.
41 The Hon'ble Mr. Krishna Ballabh Sahay.
42 Mr. Khara Manjhi.
43 Mr. Sukhlal Singh.
44 Mr. Mangar Dhobi.
45 Mr. Deoki Nandan Prasad.
46 Dr. Purna Chandra Mitra.
47 Mr. Raj Kishore Singh.
48 Mr. Jitu Ram.
49 Mr. Sagar Mahto.
50 Mr. Tika Ram Manjhi.
51 Mr. Srish Chandra Banerjee.
52 Mr. Nakul Chandra Sahis.
53 Mr. Kishori Mohan Upadhyay.
54 Mr. Manjoor Hussain.
55 Srimati Sunder Devi.
56 Srimati Bhagwati Kuer.
57 Mr. M. Morris.
58 Mr. Hira Lal Saraf.
59 Mr. Rameshwar Prasad Singh.
60 Mr. Chandreshwar Prasad Narain Sinha.
61 Taranand Sinha.
62 Mr. Nirapada Mukharji.
63 Dr. Sachchidananda Sinha.

The motion was negatived.

* Vote rejected.